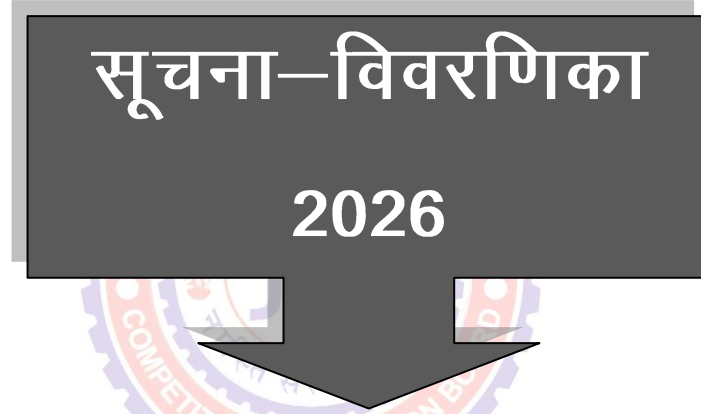


**झारखण्ड सरकार**  
**झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद**

**डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्वक प्रवेश) – 2026**

**Diploma Entrance Competitive Examination**  
**(Lateral Entry) – 2026**



| महत्वपूर्ण तिथियाँ                          |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि | 19.05.2026          |
| ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया समाप्ति की तिथि      | 12.06.2026          |
| परीक्षा की तिथि                             | 28-06-2026 (रविवार) |

विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम—तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची

**Inquiry No.: 9264473891/9264473893**

**Board's Official Website :- <http://jceceb.jharkhand.gov.in>**

## विषय सूची

| <u>क्र.सं. विवरण</u>                                                                                                | <u>पृष्ठ सं.</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. परिचय                                                                                                            | 3                |
| 2. संस्थान                                                                                                          | 3                |
| 3. संस्थानों/शाखाओं/उपलब्ध सीटों की जानकारी                                                                         | 3                |
| 4. प्रवेश हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता                                                                              | 3                |
| 5. आवासीय अर्हता                                                                                                    | 3-4              |
| 6. शारीरिक योग्यता                                                                                                  | 4                |
| 7. आयु-सीमा                                                                                                         | 4                |
| 8. निःशुल्क शिक्षा योजना                                                                                            | 4                |
| 9. संस्थान में नामांकन हेतु शुल्क                                                                                   | 4                |
| 10. आरक्षण                                                                                                          | 4 - 5            |
| 11. प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्रों के प्रकार                                                                  | 5                |
| 12. परीक्षा केन्द्र                                                                                                 | 5                |
| 13. आवेदन करने का तरीका                                                                                             | 5                |
| 14. आवेदन-सह-परीक्षा शुल्क                                                                                          | 5                |
| 15. आवेदन पत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश                                                                          | 5-6              |
| 16. प्रवेश पत्र                                                                                                     | 6                |
| 17. मेधा सूची का निर्माण                                                                                            | 6                |
| 18. पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्योग                                                                                     | 6                |
| 19. प्रथम साक्षात्कार                                                                                               | 6                |
| 20. द्वितीय साक्षात्कार                                                                                             | 6                |
| 21. शाखा एवं/या संस्थान परिवर्तन                                                                                    | 6-7              |
| 22. साक्षात्कार शुल्क                                                                                               | 7                |
| 23. अन्य आवश्यक सूचनाएँ                                                                                             | 7 - 8            |
| 24. साक्षात्कार/नामांकन के संबंध में आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ                                                     | 8                |
| 8.4 Diploma Engineering Entry Level Qualification 10+2 level as per AICTE Approval Process Handbook 2024-2027       | 9 - 10           |
| आवेदन पत्र भरने हेतु चरणबद्ध निर्देश                                                                                | 11 - 12          |
| अनुसूची - क: "झारखंड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान                                                        | 13 - 14          |
| अनुसूची - ख: झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप                                                        | 15               |
| अनुसूची - ग: जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST) का संशोधित प्रारूप                                                            | 16 - 19          |
| अनुसूची - घ : जाति प्रमाण-पत्र (BC- I/ BC- II) का प्रारूप                                                           | 20 - 21          |
| अनुसूची - ङ: Income & Asset Certificate for Economically Weaker Sections (आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र) का प्रारूप - | 22               |

## डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश) – 2026

### Diploma Entrance Competitive Examination (Lateral Entry) – 2026

#### सूचना-विवरणिका/Information -Bulletin

1. **परिचय :** झारखंड राज्य स्थित राजकोय, गैर-राजकोय एवं पी0पी0पी0 मोड पर संचालित पोलिटेकनिक संस्थानों, झारखण्ड गवर्नमेंट मिनि टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, राँची, गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुमका एवं केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), हेहल, राँची के डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं के शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में नामांकन, डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश) – 2026 के परीक्षाफल से मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर होगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित करायी जायगी।

2. **संस्थान :** इसके अन्तर्गत राजकोय, गैर-राजकोय एवं पी0पी0पी0 मोड पर संचालित पोलिटेकनिक संस्थानों, झारखण्ड गवर्नमेंट मिनि टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, राँची, गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुमका एवं केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), हेहल, राँची के डिप्लोमा अभियंत्रण स्तरीय पाठ्यक्रम के शाखाएँ सम्मिलित हैं।

3. **संस्थानों/शाखाओं/उपलब्ध सीटों की जानकारी** सभी संबंधित पोलिटेकनिक संस्थानों एवं अन्य के डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम अन्तर्गत शाखावार, कोटिवार एवं कोटावार सीटों की उपलब्धता पर्षद के वेबसाइट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर Downloads कॉलम पर देखी जा सकती है। यह शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के आधार पर आधारित है जिसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची के आदेशानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन होने की स्थिति में अद्यतन सीटों की जानकारी साक्षात्कार के समय दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार के उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पत्रांक त0शि0प्र0विविध-17/2017-57, दिनांक 18.01.2019 के आलोक में पोलिटेकनिक संस्थानों के कुल

स्वीकृत सीटों के 10% सीटों पर नामांकन, पार्श्विक प्रवेश के तहत लिया जायेगा।

4. **प्रवेश हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :**

Passed 10+2 examination with Physics/Mathematics/Chemistry/Computer Science/Electronics / Information Technology/ Biology/ Informatics Practices/ Biotechnology/Technical Vocational subject /Agriculture/Engineering Graphics/ Business Studies/Entrepreneurship as per table 8.4 of the Approval Process Handbook 2024-2027.

#### अथवा

10<sup>th</sup> + 2 year ITI shall be eligible for admission to Second Year Diploma Course(s) in Any branch of Engineering and Technology.

नोट :-(क) अर्हक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन-पत्र भर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार की तिथि के पूर्व तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा वे नामांकन के योग्य नहीं समझे जायेंगे।

(ख) दो वर्ष से कम अवधि वाले ITI में उत्तीर्ण होने वाले आवेदक उक्त परीक्षा के तहत नामांकन के योग्य नहीं समझे जायेंगे।

(ग) उपरोक्त योग्यता AICTE के Approval Process Handbook 2024-27 पर आधारित है।

5. **आवासीय अर्हता :** प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में वे ही आवेदक भाग ले सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं तथा झारखंड राज्य के स्थायी निवासी या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्यभाषा विभाग ने संकल्प ज्ञापांक 7/आ0नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का. – 3198, दिनांक 18.04.2016 में स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नीति निर्धारित की गई है। सुलभ संकेत हेतु अधिसूचना की प्रति इस सूचना-विवरणिका के साथ अनुसूची-‘क’ में दी गई है तथा इसे पर्षद के वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

अभ्यर्थी को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (झारखण्ड राज्य के अंचल

अधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी-असैनिक या उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार/नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। “स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र” का प्रपत्र अनुसूची – ‘ख’ में देखा जा सकता है।

6. **शारीरिक योग्यता** : संस्थान में नामांकन के समय अनुशंसित अभ्यर्थियों को निबंधित चिकित्सक के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अयोग्य होने की स्थिति में, नामांकन नहीं किया जाएगा।

7. **आयु-सीमा** : डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम अन्तर्गत खनन अभियंत्रण शाखा को छोड़कर अन्य शाखाओं में नामांकन हेतु कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु-सीमा नहीं है। खनन अभियंत्रण शाखा में नामांकन के लिये 01.07.2025 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना आवश्यक है।

8. **निःशुल्क शिक्षा योजना** – अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप), नई दिल्ली के प्रावधानानुसार प्रत्येक स्वीकृत संस्थान के प्रत्येक शाखा के कुल सीटों के 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के तहत वैसे अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जायेगी, जिनके पिता/माता/अभिभावक का सभी श्रोतों से वार्षिक आय 8 लाख से कम है। आय प्रमाण-पत्र एक (1) साल के अन्दर का निर्गत होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत सभी सीटें अनारक्षित होगी, अर्थात् इन सीटों का आरक्षण से कोई संबंध नहीं होगा तथा सीटों का आवंटन मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर किया जायेगा।

9. **संस्थान में नामांकन हेतु शुल्क** : नामांकन शुल्क की राशि के संबंध में जानकारी साक्षात्कार के समय दी जायेगी।

10. **आरक्षण** :

10.1 **जाति आधारित आरक्षण** : सभी संबंधित संस्थानों में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षण हेतु प्रत्येक संस्थान को एक यूनिट माना जायेगा।

आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/नामांकन के समय पत्रांक- 14/जा0 नि0- 03-13/2015/ का0 1754 दिनांक- 25.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में ही सक्षम पदाधिकारी झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमंडल

पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त} द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त को छोड़कर} जाति प्रमाण-पत्र पर आरक्षण का दावा विचारणीय नहीं होगा तथा उनके आरक्षण का दावा को रद्द कर दिया जायेगा एवं उन्हें अनारक्षित कोटि की मान्यता दी जायेगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक- 14/जा0नि0-03-13/2015/ का0 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में “क्रीमी लेयर” रहित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका प्रपत्र अधिकृत वेबसाइट के Homepage पर Download कॉलम पर देखा जा सकता है। अत्यंत

पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा। झारखण्ड राज्य में निवासरत आदिम जनजाति समुदायों के सदस्यों को आरक्षण की विशेष सुविधा देय है। जाति प्रमाण-पत्र का विहित प्रपत्र अनुसूची-‘ग’ एवं अनुसूची-‘घ’ में देखा जा सकता है।

**नोट** : आरक्षण के दावे के संबंध में अपने कोटि के बारे में संतुष्ट हो लें। यदि कोई संशय हो तो अंचल/अनुमंडल/उपायुक्त कार्यालय से सम्पर्क कर लें या पर्षद के वेबसाइट पर भारित (Uploaded) आरक्षित कोटियों में निहित जातियों की विवरणी उपलब्ध है।

10.2 **दिव्यांगों हेतु आरक्षण** : निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग-जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक-49) के तहत झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए निःशक्त जनों को आरक्षण के तहत अनुमान्य है। पोलिटेकनिक संस्थानों में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित हैं जिसकी विवरणी पर्षद के वेबसाइट पर देखी जा सकती है। दिव्यांग का अभिप्राय होगा वैसे उम्मीदवार जो (क) अंधापन और कम दृष्टि या (ख) बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता या

(ग) चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित हैं सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास या (घ) स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और या (ड.) बहु निःशक्तता जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है, के कारण कम से कम 40 प्रतिशत आंशिक असमर्थ हो। दिव्यांगों को साक्षात्कार/नामांकन के समय एक फुल साईज का अपना फोटो तथा चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्गत एवं चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति लाना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी। आवेदन पत्र में दिव्यांग के प्रकार को भरें।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्रों के प्रकार :** प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार और बहु-विकल्प प्रकृति के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जायेगी। एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प देने पर उसकी गणना गलत उत्तर के रूप में की जायेगी एवं तदनुसार अंकों की कटौती की जायेगी। प्रश्न पत्र के विषय, परीक्षा की अवधि, परीक्षा का स्तर इत्यादि निम्नलिखित है :

परीक्षा की अवधि-2 घंटा(अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे तक)

| प्रश्न-पत्र के विषय | पूर्णांक | परीक्षा का स्तर | परीक्षा की तिथि                      |
|---------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|
| गणित                | 50       | 10वीं कक्षा     | <b>28.06.2026</b><br><b>(रविवार)</b> |
| विज्ञान             | 50       | 10वीं कक्षा     |                                      |

नोट : उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा किसी अपरिहार्य परिस्थिति में परीक्षा की तिथि एवं/या मोड एवं/या अन्य किसी में फेर-बदल किया जा सकता है।

**डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्ष्विक प्रवेश) - 2026** एक चरण में आयोजित की जायेगी।

12. **परीक्षा केन्द्र :** प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा राँची जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।

13. **आवेदन करने का तरीका:** आवेदक को ऑनलाईन तरीके से आवेदन करना है।

पर्षद के वेबसाइट पर "Click Here for All Online Application Submission - JCECEB 2026" Link को Click कर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करते समय स्कैन किया हुआ हाल का कलर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बायें हाथ के अंगूठे का निशान एवं Qualifying Examination का अंक पत्र तैयार रखें। किसी भी अनिवार्य कण्डिका को खाली नहीं छोड़ें। **आवेदन पत्र का प्रिंट आउट पर्षद कार्यालय को नहीं भेजना है।** उसकी तीन-चार प्रिंट आउट रख लें, जिसकी भविष्य में जरूरत पड़ सकती है।

14. **आवेदन-सह-परीक्षा शुल्क :** सामान्य/आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग/पिछड़ी जाति - I/पिछड़ी जाति - II कोटि के आवेदकों को ₹ 650/- तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि/सभी कोटि के महिला आवेदकों को ₹ 325/- आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा। सभी कोटि के दिव्यांगजनों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा गया है।

**ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत आवेदन-सह-परीक्षा शुल्क जमा करने का तरीका :-**

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय सारी जानकारीयों समर्पित करने के उपरान्त आवेदन-सह-परीक्षा शुल्क, पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया जा सकता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू.पी.आई.की सुविधा दी जायेगी।

15. **आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश :** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व सूचना-विवरणिका को भली-भाँति पढ़ लें। गलत या अपूर्ण सूचना देने पर आवेदन पत्र को अस्वीकार/रद्द किया जा सकता है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन बाद में नहीं किया जायेगा। फोटोग्राफ रंगीन होना चाहिए तथा



चेहरे के साथ-साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। फोटोग्राफ संपादित (Edited) नहीं होना चाहिए अन्यथा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

16. **प्रवेश पत्र** : निर्धारित तिथि तक पूर्ण रूप से भरे हुए प्राप्त आवेदन-पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे तथा परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश पत्र पर्षद के वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन अधःभारित (Download) करने का विकल्प दिया जायेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का नाम, स्कैन फोटोग्राफ, जन्मतिथि, लिंग, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा केन्द्र, पता, अनुक्रमांक एवं उनका आरक्षण कोटि दर्ज रहेगा। ऑनलाईन प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि के चार (4) दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी।

17. **मेधा-सूची का निर्माण** : परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों के आधार पर सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की संयुक्त मेधा-सूची के साथ-साथ कोटिवार मेधा-सूची तैयार की जायेगी तथा सीटों का आवंटन मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर सम्बन्धित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के शाखा में किया जायेगा।

10+2 examination with Physics/ Mathematics/Chemistry/Computer Science/Electronics/Information Technology/Biology/Informatics Practices/Biotechnology / Technical Vocational subject/Agriculture/Engineering Graphics/Business Studies/Entrepreneurship एवं/या 10<sup>th</sup> + 2 year ITI वाले दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सर्वप्रथम 10+2 examination with Physics/Mathematics/Chemistry/Computer Science/Electronics/Information Technology/Biology/Informatics Practices/Biotechnology / Technical Vocational subject/ Agriculture/Engineering Graphics/Business Studies/Entrepreneurship वाले उम्मीदवार को वरीयता क्रम में उपर रखा जायेगा। 10+2 examination with Physics/Mathematics/ Chemistry/Computer Science/ Electronics/

Information Technology/Biology/Informatics Practices/Biotechnology / Technical Vocational subject/Agriculture/Engineering Graphics/Business Studies/Entrepreneurship वाले उम्मीदवारों के समान अंक रहने की स्थिति में पहले जन्म तिथि वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी। इसी प्रक्रिया का अनुसरण 10<sup>th</sup> + 2 year ITI वाले उम्मीदवारों के साथ की जायेगी। इसके बावजूद भी अगर स्थिति समान रहती है तो उम्मीदवार के प्रथम नाम के अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार मेधा-क्रम का निर्धारण किया जायेगा।

18. **पुनर्मूल्यांकन एवं पुनयाग** : उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन, दुबारा जोड़ आदि का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार किया जायेगा।

19. **प्रथम साक्षात्कार** : प्रथम साक्षात्कार के संबंध में अद्यतन जानकारी झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के साथ-साथ पर्षद के वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

20. **द्वितीय साक्षात्कार** : प्रथम साक्षात्कार के उपरांत यदि संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो द्वितीय साक्षात्कार, उपर्युक्त की ही भांति, आयोजित किया जाएगा। इस साक्षात्कार में वैसे अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं, जो प्रथम साक्षात्कार के माध्यम से अनुशंसित संस्थानों में या तो नामांकन ले चुके हैं तथा शाखा/संस्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं या फिर नामांकन नहीं कराये हैं। इसकी सूचना झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं पर्षद के वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।

21. **शाखा एवं/या संस्थान परिवर्तन**: इस तरह के सभी मामलों पर पर्षद की ओर से परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

“नामांकन की प्रक्रिया समाप्ति के बाद संस्थान एवं शाखा परिवर्तन संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों के मुख्य द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा नियंत्रक के निर्णय के प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी।”

22. **साक्षात्कार शुल्क** : इस संबंध में विस्तृत जानकारी साक्षात्कार संबंधी विज्ञापन में दी जायेगी।

23. **अन्य आवश्यक सूचनाएँ** :

23.1 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित Diploma Engineering Entry Level Qualification 10+2 level पर्षद के वेबसाईट के Homepage पर "Download" कॉलम में देखा जा सकता है।

23.2 परीक्षा संबंधी सभी कार्यों का संचालन झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से परीक्षा नियंत्रक करेंगे एवं उनके द्वारा लिया गया सभी निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे।

23.3 परीक्षा एवं साक्षात्कार संबंधी अद्यतन जानकारी हेतु पर्षद के वेबसाईट के सम्पर्क में लगातार बने रहे।

23.4 इस सूचना विवरणिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान से सीधे पत्राचार/सम्पर्क किया जा सकता है।

23.5 झारखण्ड सरकार/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को इस सूचना-विवरणिका में सन्निहित नियमों/ प्रावधानों/सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र तथा/या पर्षद के वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी।

23.6 अभ्यर्थी को साक्षात्कार/नामांकन के समय उक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का वेबसाईट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अतः प्रवेश पत्र को संभाल कर रखें।

23.7 यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी, पहचान इत्यादि किसी भी समय असत्य पाया गया तो उनकी अभ्यर्थिता तुरंत निरस्त कर दी जायेगी और उनके विरुद्ध झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत

कार्रवाई की जायेगी जिसमें कारावास तक का भी प्रावधान है।

23.8 कानूनी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में वाद के अंतिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन से वंचित रखा जायगा।

23.9 इस प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के प्रक्रिया/आवेदन/आवंटन या अन्य किसी प्रकार के दावे से संबंधित विवाद केवल माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/राँची व्यवहार न्यायालय क्षेत्राधिकार के अन्दर ही दायर किए जाएंगे और वे ही मान्य होंगे।

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्षद वाद दायर कर सकेगा अथवा पर्षद के विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे।

23.10 साक्षात्कार/नामांकन के समय अभ्यर्थियों को निम्नांकित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ तथा उनकी एक-एक छाया-प्रति जो स्वअभिप्रमाणित हो, साक्षात्कार/नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इनमें से किसी एक भी वांछित मूल प्रमाण-पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी को संस्थान/शाखा/सीट आवंटन से वंचित कर दिया जायगा। प्रमाण पत्र/दस्तावेज का सिर्फ Xerox Copy या Fax Copy उपलब्ध कराने पर उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी।

1. माध्यमिक/10वीं/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र (मूल या औपबधिक)।

2. 10+2 examination with Physics/Mathematics/Chemistry/Computer Science/Electronics/Information Technology/ Biology/Informatics Practices/ Biotechnology/ Technical Vocational subject/Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/ Entrepreneurship अथवा 10<sup>th</sup> + 2 year ITI परीक्षा का प्रवेश-पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।

3. झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र।

4. झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)।

5. झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर नागरिका का वर्ग के लिये आरक्षित सीटों का चयन करने की स्थिति में)।

6. चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्गत एवं चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा एक फुल साईज (पूरे शरीर का) फोटोग्राफ (दिव्यांग कोटा का लाभ लेने की स्थिति में)

24. साक्षात्कार/नामांकन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ

24.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के समय या पूर्व ही, अपने दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र, संबंधित अंचल/अनुमंडल/उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त कर लें।

24.2 साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसे नामांकन के समय, संबंधित आवंटित संस्थान में जमा करना अनिवार्य है।

24.3 अगर कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होते हैं अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी वांछित/निर्धारित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा अपनी पहचान स्थापित नहीं करते हैं अथवा डाक्टरी जाँच में अयोग्य पाये जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जाएगी।

24.4 साक्षात्कार, संयुक्त मेधा सूची के अनुसार आयोजित की जायेगी। आरक्षित कोटि यथा **EWS/SC/ST/BC-I/BC-II** के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे अनारक्षित कोटि के लिए उपलब्ध सीटों/संस्थानों के साथ-साथ अपने आरक्षित कोटि के लिए उपलब्ध सीटों/संस्थानों का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

24.5 नामांकन के समय प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों, उनके हस्ताक्षर तथा पहचान की छान-बीन की जायेगी।

जाली प्रमाण-पत्र अथवा गलत पहचान के आधार पर नामांकन का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध भा.द.वि. की योग्य धाराओं के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं साथ ही साथ पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगामी तीन वर्षों तक शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा।

24.6 अभ्यर्थी को सीट आवंटन के उपरान्त निर्धारित तिथि तक नामांकन लेना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका आवंटन पत्र स्वतः रद्द समझा जाएगा।

24.7 साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी की मेधा क्रम संख्या पर उपलब्ध रिक्त स्थानों में से अभ्यर्थी को शाखा एवं संस्थान का आवंटन, मेधा-सह-ईच्छा

के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अलग से कोई अंक निर्धारित नहीं है। परीक्षाफल में अन्तर्निहित सभी अभ्यर्थियों के नामांकन की गारंटी नहीं है।

24.8 नामांकन के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा **Anti Ragging** के सम्बन्ध में दिये गये निदेश के आलोक में सभी अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को आवंटित संस्थानों में निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र का प्रारूप पर्षद के वेबसाइट पर **Download** कॉलम में उपलब्ध है।

**परीक्षा नियंत्रक**



## 8.4

## Diploma/Under Graduate Engineering Entry level qualification 10+2 level

| Sr. No. | Major Disciplines                | Mandatory Courses at 10+2 Level                 | Other relevant Course(s) for this discipline                   |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1       | Aeronautical Engineering         | Phy, Chem, Maths                                | NA                                                             |
| 2       | Agriculture Engineering**        | Phy, Chem<br>OR<br>Agriculture stream           | Maths/Biology/Biotechnology/Agriculture/<br>Agriculture stream |
| 3       | Architecture                     | As per Norms of Council of Architecture ( CoA ) |                                                                |
| 4       | Planning                         | Maths                                           | For remaining two courses select any courses out of 14#        |
| 5       | Biotechnology**                  | Phy, Chem                                       | Select any one from Bio/Biotechnology/Maths                    |
| 6       | Ceramic Engineering              | Phy, Chem, Maths                                | NA                                                             |
| 7       | Civil Engineering                | Phy, Chem, Maths                                | NA                                                             |
| 8       | Computer Science and Engineering | Phy, Maths                                      | For remaining single course select any courses out of 14#      |
| 9       | Chemical Engineering             | Phy, Chem, Maths                                | NA                                                             |
| 10      | Dairy Engineering                | Phy, Chem, Maths                                | NA                                                             |
| 11      | Electrical Engineering           | Phy, Maths                                      | For remaining single course select any courses out of 14#      |
| 12      | Energy Engineering               | Phy, Chem, Maths                                | NA                                                             |
| 13      | Electronics Engineering          | Phy, Maths                                      | For remaining single course select any courses out of 14#      |
| 14      | Mechanical Engineering           | Phy, Chem, Maths                                | NA                                                             |
| 15      | Fire and Safety Engineering      | Phy, Chem, Maths                                | NA                                                             |
| 16      | Food Engineering                 | Chem                                            | For remaining two courses select any courses out of 14#        |
| 17      | Leathe Technology                | Chem                                            | For remaining two courses select any courses out of 14#        |
| 18      | Marine Engineering               | Phy, Chem, Maths                                | NA                                                             |
| 19      | Metallurgy Engineering           | Phy, Chem, Maths                                | NA                                                             |
| 20      | Military Engineering             | Phy, Chem, Maths                                | NA                                                             |
| 21      | Mining Engineering               | Phy, Chem, Maths                                | NA                                                             |
| 22      | Nano Technology                  | Phy, Chem, Maths                                | NA                                                             |
| 23      | Nuclear Science and Technology   | Phy, Chem, Maths                                | NA                                                             |
| 24      | Packaging Technology             | Nil                                             | Select any courses out of 14#                                  |

|    |                              |                  |                                                           |
|----|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 25 | Pharmaceutical Engineering** | Phy, Chem        | Select any one from Bio/Biotechnology/Maths               |
| 26 | Printing Engineering**       | Phy, Chem        | For remaining single course select any courses out of 14# |
| 27 | Textile Engineering          | Phy, Chem, Maths | NA                                                        |
| 28 | Fashion Technology           | Nil              | Select any courses out of 14#                             |
| 29 | Textile Chemistry            | Chem             | For remaining two courses select any courses out of 14#   |

\*\* First one or two Semesters may be so designed that students with Biology/Biotechnology background have adequate courses on Maths and Vice Versa and then the class is at level studying field for the rest of the semesters.

#Physics/ Mathematics / Chemistry/ Computer Science/Electronics/Information Technology/ Biology/ Informatics Practices/ Biotechnology/ Technical Vocational subject/ Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/ Entrepreneurship.

# आवेदन पत्र भरन हेतु चरणबद्ध निर्देश

आवेदन पत्र भरने के पूर्व सूचना-विवरणिका का भली-भाँति अध्ययन कर लें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि आवेदन पत्र भरते समय न हो। आवेदन करते समय स्कैन किया हुआ हाल (दिनांक-01.01.2026 या उसके बाद) का कलर फोटोग्राफ (अधिकतम 50 KB), हस्ताक्षर (अधिकतम 50 KB), बायें हाथ के अंगुठे का निशान (अधिकतम 50 KB) एवं **Qualifying Examination** (यदि उत्तीर्ण हो तो) का अंक पत्र (100 KB से 200 KB) साईज का तैयार रखें।

पर्वद के वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर "Click Here for All Online Application Submission - JCECEB 2026" टैब पर Click करें उसके बाद "Diploma Entrance Competitive Examination (Lateral Entry) – 2026" link पर Click करें। Online आवेदन करने हेतु Online Application Process को चार चरणों में विभक्त किया गया है :-

- Registration.
- Personal & Educational Details.
- Upload Photograph, Signature and L.T.I.
- Application-cum-Examination Fee Payment.
- **प्रथम चरण (Registration)** – उपलब्ध आवेदन पत्र में माँगी गयी जानकारीयों को भरें। दिये गये निर्देशानुसार पासवर्ड बनायें। पासवर्ड कम से कम 8 Character का बनायें जिसमें कम से कम एक Capital Letter, कम से कम एक Small Letter एवं कम से कम एक Number अवश्य ही होने चाहिए। अपने बनाये गये पासवर्ड को किसी के साथ साझा (Share) न करें अन्यथा पासवर्ड के दुरुपयोग की जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी एवं Captcha Code को भर तथा Save & Continue पर Click करें। आपके द्वारा दर्ज Mobile No. एवं ई-मेल पर Login Id एवं Password प्राप्त होगा।

Login Id एवं Password को भविष्य के लिए सुरक्षित लिखकर रख लें। दुबारा Login करने के लिए Login Id एवं Password की आवश्यकता पड़ेगी।

- **द्वितीय चरण (Personal & Educational Details)** – अपना नाम, Father's Name, Mother's Name, Date of Birth, Gender, Residential Status, Category (यदि General कोटि के अंतर्गत EWS कोटि में भी आते हैं तो EWS में "Yes" करें। अनुसूचित जनजाति कोटि के अन्तर्गत आदिम जनजाति समूह में भी आते हों तो, अनुसूचित जनजाति कोटि के साथ-साथ आदिम जनजाति समूह में से अपना उप-जाति चुनें।), TFW, Persons with Disabilities, Annual Family Income, Muslim Community Quota, Nationality,



e-mail Id, Mobile No. और Communication Address भरें एवं Disclaimer Clause को पढ़ कर चेक बॉक्स पर क्लिक करें तथा Save & Continue पर Click करें।

Educational Details में Qualifying Examination Details भरना है, Pass Status, Year of Passing/Appearing, Institute Name & Address, Board/University Name, Obtained Marks Percentage (अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में)।

- **तृतीय चरण (Upload Photograph, Signature, L.T.I. and Marks Sheet)** – JPG/JPEG Format में स्कैन किया हुआ हाल का रंगीन (Colour) फोटोग्राफ सफेद पृष्ठभूमि के साथ (With White Background) जिसमें दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखता हो (10 KB से 100 KB ), JPG/JPEG Format में स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर (05 KB to 50 KB) एवं JPG/JPEG Format में स्कैन किया हुआ बायें हाथ का अंगुठे का निशान (10 KB to 50 KB) Upload करें।

तृतीय चरण पूर्ण होने पर आपके आवेदन पत्र का Preview दिखाई पड़ेगा। अपने भरे गये व्यौरे को पुनः जाँच लें तथा पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लें। यदि आप Edit करना चाहें तो Edit Application बटन पर Click कर Edit कर लें तथा Save & Continue पर Click करें।

- **चतुर्थ चरण (Application-cum-Examination Fee Payment)** – Payment पर Click करें। Payment पर Click करने के उपरान्त Bank Collect का स्क्रीन आयेगा। स्क्रीन पर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन-सह-परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

Successfully भुगतान करने के उपरान्त वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> पर " Diploma Entrance Competitive Examination (Lateral Entry) – 2026" link पर Click कर "Applicant login" पर Sign In कर अपना आवेदन पत्र Print कर लें तथा Print out निकाल कर सुरक्षित रख लें। प्राप्त आवेदन पत्र (confirmation page) को पर्यद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इसकी उपयोगिता भविष्य में होगी।

.....



## अनुसूची - क

झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

### संकल्प

3138

18-04-2016

विषय : “झारखंड के स्थानीय निवासी” की परिभाषा एवं पहचान।

स्थानीय व्यक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर दो जनहित याचिकाओं डब्लू0पी0(पी0आई0एल0) 4056/2002 एवं 3912/2002 में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंड पीठ द्वारा सुनवाई के बाद दिनांक 27.11.2002 को निरस्त कर दिया गया और “स्थानीय व्यक्ति” को पुनः परिभाषित करने तथा स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा निदेश गठित करने के मामले में सरकार से निर्णय लेने की अपेक्षा की गई।

2. राज्य सरकार द्वारा स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा एवं पहचान के मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों से गहन विचार विमर्श के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड का स्थानीय निवासी वैसे भारतीय नागरिक को माना जाएगा जो निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त पूरी करता हो, :-

- (i) झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं अथवा पूर्वज के नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज हो। भूमिहीन के मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, जो झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परम्परा पर आधारित होगी।
- (ii) किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (iii) झारखंड राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी या उनकी पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

- (iv) भारत सरकार का पदाधिकारी/ कर्मचारी जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो या उनकी पत्नी/ पति/ संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (v) झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक (statutory) पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी/ पति/ संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (vi) ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.- 3198 / रांची, दिनांक 18-04-21  
प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.- 3198 / रांची, दिनांक 18-04-21  
प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.- 3198 / रांची, दिनांक 18-04-21  
प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

## अनुसूची – 'ख'

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या – 14/स्थानीयता नीति-14-03/2016 का 0 4650, दिनांक 02 जून 2016 के आलोक में झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप

### झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पिता/पति श्री ..... पता – ग्राम/वार्ड/शहर .....  
पो 0 ..... थाना ..... जिला ..... के  
स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या – 3198 दिनांक 18.04.2016 की कंडिका – ..... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले  
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम



**प्रपत्र-4**

**संशोधित**

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
पिता ..... ग्राम/नगर .....  
जिला/प्रमंडल ..... राज्य/संघशासित प्रदेश .....  
निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन ..... जाति/जनजाति के सदस्य हैं:-

- \* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- \* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
- \* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951
- \* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951
- (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)
- \* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- \* संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजाति आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 द्वारा यथासंशोधित
- \* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- \* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- \* संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- \* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
- \* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- \* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- \* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- \* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- \* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- \* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- \* संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- \* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
- \* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
- \* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- \* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
- \* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार सामान्य रूप से ..... राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर ..... जिला/प्रमंडल ..... में निवास करते हैं।



3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त ( प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)

ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।

iii) राजस्व पदाधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।

iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान .....

तिथि .....

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

कार्यालय के सील सहित

**FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ..... Son/ Daughter of Shri/Smt. .... of Village/ Town ..... District/ Division\* ..... of the State/Union Territory ..... belongs to the ..... Caste/Tribe which is recognized as Scheduled Caste/Scheduled Tribe under :

\*The Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950

\*The Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950

\*The Constitution (Scheduled Caste) (Union Territories) Order, 1951

\*The Constitution (Scheduled Tribe) (Union Territories) Order, 1951

[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Re-organization Act, 1960, the Punjab Re-organization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1971 and the North Eastern Areas (Reorganization) Act, 1976]

\*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.

\*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976

\*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962

\*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962

\*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

\*The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.

\*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968

\*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968

\*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970

\*The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978

\*The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978

\*The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989

\*The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990.

\*The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991.

\*The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996.

\*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002.

\*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.

\*The Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 2002.

2. Shri/Smt./Kumari\* and/or\* his/her\* family ordinarily reside (s) in Village/Town\*  
.....District/Division\* of the State/Union Territory\* of .....

3. This certificate is valid till further orders or till any change made in Central Caste list under SC/ST category for Jharkhand.

Note :

(a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

(b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:

(i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar.

(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

Signature.....

Designation .....

(with seal of office)

Place.....

Date.....

## अनुसूची – 'घ'

प्रपत्र – 11

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि

पिता ..... पति ..... (विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर ..... जिला/प्रमंडल ..... , राज्य/संघशासित प्रदेश ..... जाति के सदस्य हैं, जो झारखंड रिक्तियों और पदों के लिये आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुसूची-I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा ये ..... धर्म को माननेवाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर ..... जिला/प्रमंडल ..... में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय झापांक 36012/22/93-स्था (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तंभ-3 में उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं. 3482, दिनांक 10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय झापन सं. 36012/22/93-स्था (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रमाणित आवेदक तथा उसकी/उसके माता-पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म संख्या-15) संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैधता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान .....  
तिथि .....

हस्ताक्षर .....  
पदनाम .....  
कार्यालय के सील सहित



**FORM OF NON-CREAMY LAYER CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/  
BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION TO STATE EDUCATIONAL  
INSTITUTIONS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND**

This is to certify that ..... Son/ Daughter of  
..... Wife of ..... (in case of married woman)  
of Village/ Town..... District/Division\* ..... of the  
State/Union Territory ..... belongs to the ..... Caste which  
is recognized as Backward Class under : Backward Class (Annexure-I/II) of Jharkhand Reservation of Vacancies  
and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act - 2001 \*\*\* and professes  
..... Religion.

2. ....\* and/or\* his/her\* family ordinarily reside (s) in Village/Town\*  
..... District/Division\* of the State/Union Territory\* of Jharkhand.

3. This is also to certify that he/she does not belong to the Persons/Sections (Creamy layer)  
mentioned in Column 3 of the Schedule to the OM No. 36012/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 of Department  
of Personnel and Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative  
Reforms and Official languages vide Resolution No-3482 dated 10.06.2002.

4. This certificate is issued on the basis of declaration made by applicant and his/her parents in  
terms of rule of exclusion enumerated in OM No. 36012/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 and is valid for one  
year from the date of issue. This certificate will, however, be valid if it is enclosed with current declaration of  
being non-creamy layer, for the financial year in which such declaration is made in the form-15 specified for the  
purpose.

Signature .....

Designation .....

(with seal of office)

Place.....

Date.....

## अनुसूची - 'ड.'

परिशिष्ट-1

### Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

#### INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

VALID FOR THE YEAR \_\_\_\_\_

This is certify that Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_  
son/daughter/wife of \_\_\_\_\_ permanent resident of  
\_\_\_\_\_ village/Street \_\_\_\_\_ post Office  
\_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ in the State/Union  
Territory Economically Weaker Sections, since the gross annual income\* of his/her  
'family\*\* is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year  
\_\_\_\_\_. His/her family does not own or possess any of the following  
asests\*\*\*:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
  - II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
  - III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
  - IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
2. Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_ belongs to the \_\_\_\_\_  
caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/ EBC-  
I/BC-II.

Signature with seal of office \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Recent Passport size  
attested Photograph  
of the applicant

\*Note1: Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

\*\*Note2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

\*\*\*Note3: The property held by a "Family" in different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.